प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : **माननीय श्री टी.पी. शर्मा न्यायाधीश और**

माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 530/2004

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में) सबीर राम

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश विचारार्थ प्रस्तुत

सही/-

न्यायधीश

09-09-2010

माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ ।

सही/-

टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा 09-09-2010

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : **माननीय श्री टी.पी. शर्मा न्यायाधीश और माननीय श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीश**

दांडिक अपील क्रमांक 530/2004

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में)	सबिर राम, पिता गूंगाराम, उम्र 22 साल, पेशा मज़दूर, निवासी - गांव नर्मदापुर दासीढाब, थाना - कमलेश्वरपुर, तहसील सीतापुर, ज़िला - सरगुजा (छ.ग.)
बनाम	
प्रत्यर्थी	छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना - कमलेश्वरपुर, ज़िला - सरगुजा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

श्री अभय तिवारी अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

श्री नीरज के. मेहता, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से।

आदेश

(09 -09 -2010)

न्यायालय का निर्णय श्री राजेश्वर लाल झंवर द्वारा सुनाया गया:

यह अपील चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सेशन केस क्रमांक 324 / 2003 में 27-05-2004 को पास किए गए दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत अपील करने वाले को भारतीय दंड विधान की धारा 302

और 307 के तहत दोषी ठहराया गया था और 1000/- रुपये के जुर्माने के साथ उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी और न देने पर एक साल की अतिरिक्त सश्रम कारावास और 7 साल की सश्रम कारावास और 500/- रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। 500/- का जुर्माना और नहीं देने पर जीतन की हत्या करने और गंगाराम को चोट पहुँचाने के लिए तीन महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

2. सज़ा इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को पहले बताए अनुसार दोषी ठहराया और सज़ा दी और इस तरह अवैधानिक कार्य किया हैं ।

3. अभियोजन पक्ष की संक्षिप्त कहानी यह हैं कि दिनांक 28-07-2003 को परबल राम आ. सा. 01 ने कमलेश्वरपुर में एक प्राथमिकी प्रदर्श. पी /1 दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी और घायल गवाह के पिता गंगाराम उसके पास आए और बताया कि सबीर राम, जो अपीलकर्ता है और मृतक जीतन उसके घर आए और उनके बीच झगड़ा हुआ। सबीर राम, जो अभी अपील करने वाला है, ने अचानक जीतन (मृतक का चाचा और गंगाराम का भाई) पर एक छोटी कुल्हाड़ी (टांगी) से हमला कर दिया, जिससे जीतन की तुरंत मौत हो गई। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि जब गंगाराम ने झगड़ा शांत करना चाहा तो सबीर राम ने उसकी जांघ और टांगों पर भी हमला कर दिया। घटना दिनांक 27.07.2003 को रात 8-9 बजे के बीच हुई। प्राथमिकी प्रदर्श पी./1 दर्ज करने के बाद परबल राम ने प्रदर्श. पी/2 के अनुसार नक्शा पंचनामा भी दर्ज किया। जांच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्श.पी/3 के अनुसार गवाहों को बुलाया और पी/9 के अनुसार जांच भी तैयार की गई। मर्ग सूचना प्रदर्श पी/8 के अनुसार दर्ज की गई। जांच के दौरान ज्ञापन प्रदर्श पी/4 के कहने पर अपीलकर्ता से छोटी कुल्हाड़ी प्रदर्श पी/5 के अनुसार बरामद की गई। अपीलकर्ता के खून से सने कपड़े प्रदर्श पी/6 के अनुसार जब्त किए गए। खून

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के धब्बे वाली मिट्टी और मैदान भी प्रदर्श.पी.7 के अनुसार मौके से जब्त किया आरोपी को 29-07-2003 को कस्टडी में लिया गया। घायल गवाह गंगाराम को प्रदर्श पी/12 के हिसाब से मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। गंगाराम की जांच करने पर, डॉ. एस.एन.भोई आ.सा. 6 को बाएं गाल पर बाईं आंख के ठीक बगल में एक चीरा हुआ घाव मिला, जिसका साइज़ 3.8 x 0.1 सेमी. है, पीठ पर 15 सेमी. x 0.5 सेमी. का एक चोट का निशान और दाहिनी जांघ पर काले रंग का एक चोट का निशान मिला, जिसका साइज़ 10 x 0.5 सेमी. है। गंगाराम की एम. एल. सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी/17 है और

गंगाराम पर मिली चोटों को गंभीर बताया गया। डॉ. एस.एन.भोई आ.सा. 6 ने जीतन की मृत शरीर का ऑटोप्सी भी किया और ये चोटें पाईं:

1. बाएं गाल पर बाईं आंख के ठीक पास 2.5 सेमी. x 0.3 सेमी. x 0.2 सेमी. का चीरा हुआ घाव।

2. गाल पर बाईं ओर ठीक पास 3 x 0.3 x 0.2 सेमी. का कट लगा हुआ घाव और नंबर 1 की चोट के ऊपरी हिस्से पर।

3. बाएं कान पर कटी हुई चोट जो कई हिस्सों में बंटी हुई है।

4. सिर के बाईं ओर, बाएं कान के ठीक ऊपरी हिस्से में खोपड़ी की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ 5 x 2 x 1 इंच का कटी हुई चोट।

कटी हुई चोटें किसी सख्त और नुकीली चीज़ से लगी हो सकती हैं।

मौत का कारण हेमोरेजिक शॉक बताया गया और मृत्यु की प्रकृति मानव-वध थी।

ज़ब्त की गई चीज़ों को प्रदर्श पी /14 के हिसाब से रासायनिक जांच के लिए भेजा गया। जुर्म के हथियार यानी छोटी कुल्हाड़ी की भी डॉ. एस.एन.भोई प्रदर्श पी/6 ने जांच की, जिन्होंने कहा कि इससे जीतन और गंगाराम की जान को भी चोट लग सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। जांच पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के सामने चार्जशीट फाइल की गई, जिन्होंने मामले को सेशन न्यायाधीश को सौंप दिया। अपीलकर्ता को चार्ज पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने मामला विचारण हेतु स्थानांतरित किया गया ।

5. अपीलकर्ता का अपराध समझने के लिए अभियोजन पक्ष ने 07 गवाहों से परीक्षण किया गया । आरोपी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी परीक्षण किया गया।

6. पक्षकारों को सुनने का मौका देने के बाद, विद्वान अपर सत्र न्यायधीश ने अपीलकर्ता को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई।

7. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री अभय तिवारी और राज्य की ओर से पैनल के अधिवक्ता श्री नीरज के. मेहता को सुना गया। आपेक्षित निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को देखा गया।

8. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने परबल राम और गंगाराम, जो चश्मदीद गवाह हैं, के सबूतों का मूल्यांकन करने में गलती की है। ये दोनों गवाह अपने बयान से पक्षद्रोही हो गये हैं; फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके सबूतों पर गलत भरोसा किया है। अपीलकर्ता के मेमोरेंडम और जुर्म के हथियार की ज़ब्ती पर यकीन करने में भी गलती की है। अभियोजन अपने केस को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए अपीलकर्ता दोषमुक्त होने का हकदार है।

9. दूसरी ओर, राज्य के वकील श्री नीरज के. मेहता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने गंगाराम को चोटें पहुंचाई हैं, जिनके सबूत यह नतीजा निकालने के लिए काफी हैं कि अपीलकर्ता ही वह व्यक्ति है जिसने जीतन की हत्या की और गंगाराम को चोटें

पहुंचाईं। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता के कहने पर दिया गया मेमोरेंडम और जिसके आधार पर जुर्म के हथियार की ज़ब्ती की गई, वह भी भरोसेमंद है। इसके अलावा, जांच अधिकारी आ.सा. 4 विलियम टोप्पो के सबूत, जिन्होंने कहा है कि अपीलकर्ता के कहने पर उन्होंने मेमोरेंडम अभिलिखित किया था और जिसके आधार पर जुर्म का हथियार बरामद किया गया था, और डॉ. एस.एन. भोई आ.सा. 6 जिन्होंने गंगाराम की जांच की और पाया कि गंगाराम के शरीर पर लगी चोटें गंभीर हैं। डॉ. एस.एन. भोई आ.सा. 6 ने यह भी पाया कि जीतन की मौत हत्या के इरादे से हुई थी। इस तरह, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने और सज़ा सुनाने में कोई गलती नहीं की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से दी गई दलीलों को समझने के लिए, हमने अभिलेख पर मौजूद चीज़ों की जांच की है। इस मामले में, जीतन की मौत कुल्हाड़ी से लगी जानलेवा और गंभीर चोटों की वजह से हुई, इस पर अपीलकर्ता ने ज़्यादा बहस नहीं की है, वैसे भी यह डॉ. एस.एन. भोई आ.सा. 6 के सबूत और ऑटोप्सी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 16 से साबित हो गया था, जिससे पता चला कि जीतन की मौत हेमोरेजिक शॉक की वजह से हुई थी और मृत्यु प्रकृति में मानव-वध थी।

11. इस मामले में, आ.सा. 1 परबल राम और आ.सा. 2 गंगाराम के सबूतों पर भरोसा करते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद और 7 साल के लिए सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।

12. आ.सा. 2 गंगाराम के सबूतों से यह साफ़ है कि वह मृतक जीतन का भाई और अपीलकर्ता का पिता है। अपनी मुख्य जांच में एक तरफ उन्होंने कहा है कि घटना के पास नहीं था। घटना की तारीख को आरोपी अपीलकर्ता और जीतन के बीच

झगड़े के बारे में पता था और दूसरी तरफ उसने कहा है कि जब आरोपी ने उसे जीतन पर किए गए हमले के बारे में बताया तो उसे पता चला कि मृतक ने आरोपी अपीलकर्ता से कुछ पैसे उधार लिए थे और पैसे चुकाने से मना करने पर अपीलकर्ता गुस्से में आ गया और उसने जीतन पर हमला कर दिया। गंगाराम के ऊपर दिए गए सबूतों से यह साफ पता चलता है कि गंगाराम सुनी-सुनाई बातों पर आधारित गवाह है और उसने घटना नहीं देखी। इस गवाह ने आगे यह भी कहा है कि जब उसने अपीलकर्ता को बिना काम के घूमने के लिए डांटा, तो आरोपी अपीलकर्ता ने इस गवाह पर भी हमला किया। आगे यह भी कहा गया कि जिस समय अपीलकर्ता ने उस पर हमला किया, उसी समय उसने जीतन पर कोई हमला नहीं किया; जो वहां मौजूद था और उसने उनके बीच कोई दखल नहीं दिया। अपने प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि उसके घर पर आरोपी/अपीलकर्ता और जीतन के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ा हुआ था और अपीलकर्ता पैसे मांग रहा था, जिस पर जीतन ने उसे पैसे वापस करने का वादा किया था। जब जीतन ने फिर से आरोपी को पैसे न मांगने के लिए कहा, तो आरोपी ने छोटी कुल्हाड़ी उठाई और उस पर हमला करना शुरू कर दिया, जिस पर जब इस गवाह ने बीच-बचाव करना चाहा तो अपीलकर्ता ने उसे भी मारा। इस स्थिति पर भी, इस गवाह को मृतक जीतन ने बताया कि जब वह फिर से उसके घर आया तो अपीलकर्ता ने उसके गाल और सिर पर हमला किया। अपने प्रतिपरीक्षण में, इस गवाह ने माना कि वह घटना वाली रात परबल राम आ.सा.1 के घर गया था और उसे कुछ नहीं बताया और जब वह अपने घर लौटा तो उसने जीतन की लाश देखी और यह गवाह फिर से परबल राम आ.सा.1 के घर गया और उसे घटना के बारे में बताया और उससे कहा कि वह कोटवार को घटना के बारे में बताए। इस गवाह ने बयान के दौरान यह भी कहा कि अगर वह मौके से नहीं भागता तो आरोपी उसे भी मार देते। बचाव पक्ष के प्रतिपरीक्षण में उसने बताया कि ज़मीन के बंटवारे को लेकर उसके और जीतन के बीच झगड़ा हुआ था और उसके मना करने

पर जीतन ने इस गवाह पर हमला किया और चोटें लगने से वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो वह परबल राम आ.सा. 1 के घर गया और उसे थाना चलने को कहा। इस तरह, इस गवाह का सबूत खुद में ही विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ उसने अपने बेटे सबीर राम को फंसाया मौजूदा अपीलकर्ता ने जिस जुर्म की बात हो रही है, उसमें कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ, उसने घटना के बारे में कुछ नहीं कहा और आरोपी अपीलकर्ता का पक्ष लिया। क्योंकि उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया और न ही प्राथमिकी का समर्थन किया, इसलिए उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया। इसी तरह, आ.सा. 1 परबल राम भी पक्षद्रोही हो गया। अपने सबूत में, इस गवाह ने कहा है कि आरोपी उसके पास आया और बताया कि उसने मृतक जीतन पर हमला किया और उसके बाद आरोपी उसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घर चला गया। उसके अनुसार, आरोपी से सुनने के बाद, उसने अपने बेटे को जीतन की हालत देखने के लिए भेजा और अपने बेटे से जीतन की मौत के बारे में जानने के बाद, उसने प्राथमिकी प्रदर्श पी/1 दर्ज कराई, लेकिन यह सबूत प्राथमिकी प्रदर्श पी/1 में जगह नहीं बना पाया। उसने आगे कहा है कि गंगाराम ने उसे बताया कि अपीलकर्ता ने जीतन पर छोटी कुल्हाड़ी से उसके गाल और सिर के साथ-साथ कमर, पैरों और जांघों पर भी हमला किया और फिर उसे थाना जाकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा। यह सबूत उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी प्रदर्श पी/1 में भी जगह नहीं पाया। बचाव पक्ष के प्रति-परीक्षण में, इस गवाह ने आगे कहा कि जीतन ने गंगाराम से ज़मीन का बंटवारा मांगा और इस पर जीतन और गंगाराम के बीच झगड़ा हुआ, जिस पर गंगाराम ने इस गवाह से कहा कि जीतन पागल हो गया है और उससे झगड़ा कर रहा है। फिर गंगाराम ने इस गवाह से कहा कि वह थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराए। इस तरह, इस गवाह ने एक नई कहानी बनाई और बार-बार अपनी बात बदल रहा था। इसलिए, इस गवाह का सबूत भी विश्वसनीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहां तक आ.सा. 7 शनियारी बाई के सबूत की बात है, उसके सबूत से पता चलता है कि उसे जीतन और आरोपी के बीच झगड़े के बारे में नहीं पता था और गंगाराम ने भी उसे कुछ नहीं बताया। अगर इस गवाह को कुछ नहीं पता था, तो उस स्थिति में, इस गवाह को कैसे पता चला कि आरोपी सबीर राम ने उसके पति जीतन पर हमला किया और चोटों के कारण जीतन की मौत हो गई। फिर इस गवाह ने कहा है कि गंगाराम ने उसे झगड़े के बारे में बताया था। ऐसा लगता है कि यह गवाह भी सुनी सुनाई बातों पर आधारित गवाह है और गंगाराम ने भी यह नहीं बताया है कि उसने शनियारी बाई को जीतन और आरोपी के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया था। यह गवाह भी अपने बयान से पलट गया। बिरथरी आ.सा. 3 ने यह भी कहा है कि मौजूदा अपीलकर्ता साबिर राम ने पुलिस को हथियार के बारे में कुछ नहीं बताया है। इस गवाह के अनुसार, पुलिस ने अपीलकर्ता से कोई हथियार ज़ब्त नहीं किया है। इस तरह, यह गवाह भी अपीलकर्ता के कहने पर मेमोरेंडम और ज़ब्ती का समर्थन नहीं किया।

14. पिछली चर्चा से, यह साफ़ है कि आ. सा. 1 परबल राम आ. सा. 2 गंगाराम और आ. सा. 7 शनियारी बाई के सबूतों से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे अपीलकर्ता को उस जुर्म से जोड़ा जा सके। क्योंकि उनके सबूत आपस में उलटे हैं और अभियोजन के बयान का समर्थन नहीं करते, इसलिए अभियोजन ने उन्हें पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया। यहाँ तक कि बिरथरी आ. सा. 3 ने भी अपीलकर्ता के दिए गए मेमोरेंडम का समर्थन नहीं किया है और जिसके आधार पर जुर्म के हथियार की ज़ब्ती की गई थी।

15. ऊपर बताई गई चर्चा को देखते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को शक से परे साबित करने में नाकाम रहा है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और उसके

तहत दी गई सज़ा रद्द की जाती है। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के तहत आरोपों से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जेल में है। इसलिए, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाए।

16. अगर किसी और मामले में ज़रूरत न हो, तो अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने के लिए फैसले की एक प्रति और दूसरे दस्तावेज तुरंत विचारण न्यायालय भेजे जाएं। अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है।

सही/-

श्री टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

सही/-

श्री आर. एल. झंवर

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Durga Mehar Adv.